संख्या एफ03101/11/79-स्था0(क)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6-3-1981

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत दावे की वास्तविकता का निर्धारण ।

मुझे गृह मंत्रालय के दिनांक 11-12-58 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/5/51-स्थापना (क) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, नियंत्रक प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी के छुट्टी यात्रा रिआयत के दावे को स्वीकार करते समय, यदि वह दावे की वास्तविकता के संबंध में अन्यथा संतुष्ट है तो नकद रसीदें, टिकटों आदि की क्रम संख्या के प्रस्तुत किए जाने जैसी मामूली स्वरूप की आवश्यकताओं में छूट दे सकता है । इस उपबंध को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा सन्देह व्यक्त किए गए हैं कि क्या नियंत्रक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि जब लेखा अधिकारी को अथवा इस संबंध में निर्धारित किसी अन्य प्राधिकारी को भुगतान के लिए बिल भेजा जाता है तो सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत की गई नकद रसीदें, टिकटें, टिकटों की क्रम संख्या आदि भी संलग्न की जानी चाहिए । इस प्रश्न पर लेखा महा नियंत्रक के साथ परामर्श करके विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि लेखा अधिकारी को भेजे गए छुट्टी यात्रा रिआयत के दावे के साथ सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य हमेशा भेजा जाए ताकि लेखा अधिकारी छुट्टी यात्रा रिआयत के दावे के संबंध में किए गए हिसाब की जांच लघुतम सीधे मार्ग के संदर्भ में कर सके तथा जिन मामलों में यात्रा एक से अधिक प्रकार के वाहनों द्वारा की गई है उनमें निर्धारित फार्मूले को लागू करके हकदारी की जांच कर सके । जहां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा कोई छूट स्वीकार की गई हो तो छूट का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए इस आशय का एक प्रमाण पत्र भी दावे के साथ पृष्ठांकित किया जाना चाहिए ।

2- एक अन्य सम्बद्ध प्रश्न भी उठाया गया है । जैसाकि सभी मंत्रालयों/ विभागों को मालूम है, रेलवे ने यात्रियों द्वारा खरीदे गए यात्रा टिकटों के लिए नकद रसीदें जारी करने की प्रथा बंद कर दी है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रिआयत योजना के अधीन अपने दावों के समर्थन में रेलवे की नकद रसीदें प्रस्तुत करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । कुछ क्षेत्रों में यह मत भी व्यक्त किया गया है कि अब रेल द्वारा की गई यात्राओं के लिए रेलवे की नकद रसीद के अभाव में दावे की वास्तविकता से स्वयं नियंत्रण प्राधिकारी के लिए भी संतुष्ट होना कठिन हो सकता है ।

2/-

3- उक्त मामले पर वित्त तथा रेल मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया गया है। रेल मंत्रालय इस पक्ष में नहीं है कि खरीदे गए टिकटों के लिए नकद रसीदें जारी करने की व्यवस्था को पुन: बहाल किया जाए। किन्तु इस विभाग के दिनांक 1-9-78 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/4/78-स्थापना (क) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि जहां छुट्टी यात्रा रियायत के लिए पेशगी धन लिया गया है वहां पर सरकारी कर्मचारी को पेशगी लेने के दस दिन के भीतर रेलवे की नकद रसीदें सक्षम प्राधिकारी को यह दिखाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने टिकटें खरीदने के लिए उक्त राशि का वास्तविक रूप में उपयोग किया है। अब रेलवे ने यात्रा टिकटों के लिए नकद रसीदें जारी करने की प्रणाली बंद कर दी है तो सरकारी कर्मचारी पेशगी लेने के दस दिन के भीतर रेल टिकटों को प्रस्तुत कर सकता है। जहां कोई पेशगी नहीं ली गई है वहां पर सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दावे में टिकटों के नम्बर निर्दिष्ट कर देना ही पर्याप्त होगा जैसी कि विद्यमान अनुदेशों में पहले ही व्यवस्था है।

4- जहां तक नकद रसीदों के अभाव में दावे की वास्तविकता के संबंध में नियंत्रक प्राधिकारी की संतुष्टि का संबंध है, नियंत्रक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दावे के समर्थन में वास्तविक रूप से प्रस्तुत साक्ष्य के संदर्भ में दावे की पड़ताल करके स्वयं संतुष्ट हो सकता है। यदि नियंत्रक प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य की वास्तविकता पर कोई सन्देह है तो वह सरकारी कर्मचारी को ऐसा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने को कह सकता है जो उसके दावे को प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित समझा जाए। यदि नियंत्रक प्राधिकारी दावे की वास्तविकता के बारे में अभी भी संतुष्ट नहीं है तो उसे दावे को अस्वीकार करने की छूट है।

5- इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारी ने जिस श्रेणी अथवा जिस प्रकार के वाहन द्वारा यात्रा किए जाने का दावा पेश किया है, उसके बारे में भी प्रमाणित करना होता है। यदि यह प्रमाण पत्र किसी भी विशेष मामले में झूठा पाया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। जहां आवश्यक हो वहां पर नियंत्रक प्राधिकारी दावे की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए एक पूर्ण जाँच भी कर सकता है। यदि दावा झूठा पाया जाता है तो संबंधित सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

6- उपर्युक्त पैरा 4 तथा 5 में दिए गए सामान्य सिद्धांत के अलावा, नियंत्रक प्राधिकारी विशेष अनुदेशों में निर्दिष्ट क्रियाविधि का भी सहारा ले सकता है जैसाकि इस विभाग के दिनांक 25-1-1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 31011/8/79-स्थापना (क) में निर्दिष्ट है।

6

7- जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(बी०एस० निम)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)